

राजस्थान सरकार
वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

क्रमांक: प.(1)वित्त/एसपीएफसी/2013

दिनांक १.१.२०२०

परिपत्र

विषय:- राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP)/e-proc पोर्टल में Government e-mail service का उपयोग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.12.2019, 29.04.2020 एवं 18.06.2020 द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP)/e-proc पोर्टल में Government e-mail service का उपयोग करने के संबंध में समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देश प्रदान किये गये थे। परंतु उपापन संस्थाओं द्वारा इन निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की गयी है। इसी क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) विभाग के यू. ओ. नोट दिनांक 10.07.2020 द्वारा प्रशासनिक विभागों से भी अनुरोध किया गया था कि सभी नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर सरकारी ई-मेल एड्रेस का उपयोग करने हेतु निर्देशित करावें।

उल्लेखनीय है कि राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP)/e-proc पोर्टल में Government e-mail service का अनिवार्यतः उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा मुख्य सचिव के स्तर से जारी परिपत्र क्रमांक F8(334)/DOIT/Gen/19/014147/2019 दिनांक 23.09.2019 के द्वारा yahoo/gmail/hotmail/outlook/rediff आदि ई-मेल एड्रेस के माध्यम से राजकीय संचार/संवाद किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। उपापन संस्थाओं को भी इनका उपयोग अनुमत नहीं है। राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर सरकारी ई-मेल एड्रेस का उपयोग ही अनुमत है।

बार-बार निर्देश जारी किये जाने के उपरांत भी SPP Portal पर वर्तमान में कुल 8439 उपयोगकर्ताओं (Active Nodal officer-714 एवं Procuring entity-7725) के विरुद्ध आदिनांक तक 2659 उपयोगकर्ताओं द्वारा ही सरकारी ई-मेल एड्रेस का उपयोग किया जा रहा है तथा 5780 नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल पर सरकारी ई-मेल एड्रेस को आदिनांक तक अपडेट नहीं किया गया है।

सरकारी ई-मेल सेवाओं के उपयोग करने के अभाव में उपापन कार्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहेगी क्योंकि दिनांक 10.10.2020 के उपरांत राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल के उपयोग हेतु केवल सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (username@rajasthan.gov.in/username@rajasthan.in)/एनआईसी(username@nic.in) द्वारा जारी किये गये सरकारी ई-मेल एड्रेस ही मान्य होंगे। उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) विभाग के यू. ओ. नोट दिनांक 10.07.2020 द्वारा तीन महीने का समय दिया गया था जिसकी अवधि दिनांक 10.10.2020 को समाप्ति पर है।

अतः इस संबंध में सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल के समस्त नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को प्रशासनिक विभाग के स्तर से त्वरित कार्यवाही हेतु पुनः अनुरोध किया जाना अपेक्षित है। राज्य लोक उपापन पोर्टल / e-proc पोर्टल के समस्त नोडल अधिकारियों/उपापन संस्थाओं द्वारा सरकारी ई-मेल एड्रेस का उपयोग दिनांक 10.10.2020 से पूर्व अनिवार्यतः प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

(टी रविकान्त)
शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई/ ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/ सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/ संभागीय आयुक्त ।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
12. समस्त कोषाधिकारी ।
13. समस्त उपापन संस्थाएं।
14. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव